

प्रेस विज्ञप्ति
थाना जहानागंज

मारपीट में एक वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 19.7.2020 को वादी श्री उदय प्रताप सिंह पुत्र शिवपुजन सिंह सा0 अमठा गोपालपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ का बावत अभियुक्तगण द्वारा एक राय होकर वादी मुकदमा के साथ मारपीट करना एव खडंजा निर्माण कार्य को रोकवाना एव रंगदारी टेक्स की मांग करना तथा न देने पर जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में लिखित सूचना पर मु0अ0स0 195/20 धारा 147,323,386,506 पंजीकृत किया गया था।

दिनांक 04.10.2020 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह के आदेश के अनुपालन में व पुलिस अधीक्षक नगर तथा क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल पर्वेक्षण में वांछित /वारण्टी की गिरफ्तारी के चलाये गये अभियान के क्रम में मु0अ0स0 195/20 धारा 147,323,386,506 से संबन्धित वांछित अभियुक्त राकेश यादव उर्फ गूड्डू पुत्र बुद्धिराम यादव ग्राम अमठा गोपालपुर थाना जहानागंज आजमगढ़ को समय करीब 12.30 बजे साईं ढाबा बनकटा मुस्तफाबाद थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ से गिरफ्तार किया गया। दौराने विवेचना धारा 147 का होना नहीं पाया गया बल्कि धारा 504 भादवि का होना पाया गया। अतः अभियुक्त उपरोक्त का चालान अन्तर्गत धारा 504/506/386 भादवी माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

राकेश यादव उर्फ गूड्डू पुत्र बुद्धिराम यादव ग्राम अमठा गोपालपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़

पंजीकृत अभियोग:-

मु0अ0सं0-195/20 धारा 504/506/386 भादवि थाना जहानागंज आजमगढ़

आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0-214/16 धारा 3/4UP गुण्डा एक्ट थाना जहानागंज आजमगढ़
2. मु0अ0सं0-1057/10 धारा 147,148,149, 307IPC व 7CLA ACT थाना जहानागंज आजमगढ़
3. मु0अ0सं0-1058/10 धारा 3/25 आर्मस एक्ट थाना जहानागंज आजमगढ़
4. मु0अ0सं0- नील/10 धारा 41, 411IPC थाना जहानागंज आजमगढ़
5. मु0अ0सं0-69/14 धारा 147,148,149,307,308,323,504,506,427 IPC व 7CLA ACT थाना जहानागंज आजमगढ़
6. मु0अ0सं0-180/14 धारा 392 IPC थाना जहानागंज आजमगढ़
7. मु0अ0सं0- 184/14 धारा 147,148,149,307,386,452,392,323,504,506,336,435,427 IPC व 7CLA ACT थाना जहानागंज आजमगढ़
8. मु0अ0सं0-1472/09 धारा 302,201 IPC थाना रानीपुर मऊ
9. मु0अ0सं0-675/08 धारा 307IPC थाना मेंहनगर आजमगढ़
10. मु0अ0सं0-114/13 धारा 3/4UP गुण्डा एक्ट थाना जहानागंज आजमगढ़

11. मु0अ0सं0-246/14 धारा 3/25 आर्मस एक्ट थाना रानीपुर मऊ
12. मु0अ0सं0-195/20 धारा 147,386,504,506 भादवि थाना जहानागंज आजमगढ़
13. मु0अ0सं0-01/2019 धारा 419/420/406/467/468/471/483/बी भादवि120 थाना फूलपुर जनपद वाराणसी

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

- 1-उ0नि0 रमेश कुमार पटेल
- 2.का0 विनय यादव
- 3-का0 महेश कुमार

थाना-रौनापार

01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

वादी की लिखित तहरीर के आधार पर जिसमें अभि0 द्वारा अपनी पत्नी संगीता देवी को प्रताड़ित करना मारना पीटना जिससे पत्नी द्वारा जहर खाकर मृत्यु हो जानें के सम्बन्ध में मृतिका के भाई/वादी विजेन्द्र पुत्र स्व0 श्यामदेव सा0 पाण्डेयचवर थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना हाजा पर मु0अ0सं0 195/2020 धारा 306 भादवि पंजीकृत कराया।

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह के वांछित/वारण्टी की धर पकड़ के कड़े निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय (ग्रामीण), क्षेत्राधिकारी सगड़ी व थानाध्यक्ष रौनापार के कुशल नेतृत्व में थाना क्षेत्र रौनापार में उ0नि0 रौनापार द्वारा मय हमराही फोर्स के दौराने तलाश वांछित/वारण्टी अभि0 के क्रम में मुखबिर खास की सूचना पर मु0अ0सं0 195/2020 धारा 306 भादवि थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ में वांछित अभियुक्त जय हिन्द पासवान पुत्र भुल्लन पासवान सा0 तहिरापुर बघावर थाना रौनापार , जनपद आजमगढ़ को बेलकुण्डा तिराहे पर समय लगभग 12.50 बजे गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायलय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 195/2020 धारा 306 भादवि थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

जय हिन्द पासवान पुत्र भुल्लन पासवान सा0 तहिरापुर बघावर थाना रौनापार , जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 संतोष कुमार थाना रौनापार जनपद आजमगढ़
2. हे0का0 राजनाथ यादव थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

थाना निजामाबाद

अवैध असलहा (एक अदद तमंचा व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर) के साथ एक नफर अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अवैध असलहा रखने व तस्करी करने वालो की गिरफ्तारी के सम्बन्ध मे चलाये जा रहे अभियान के क्रम मे दिये गये निर्देश के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल निर्देशन व प्रभारी निरीक्षक निजामाबाद अनवर अली खान के कुशल नेतृत्व में उ0नि0 रहीमुद्दीन मय हमराहीयान के देखभाल क्षेत्र में मामूर थे कि जरिये मुखबिर खास सूचना मिली कि मुख्य मार्ग रेलवे क्रसिंग फरिहां सटे दक्षिण तरफ एक व्यक्ति अवैध असलहा व कारतूस के साथ बैठा है। मुखबीर खास की सूचना पर विश्वास करके उ0नि0 रहीमुद्दीन मय हमराहीयान द्वारा मौके पर पहुंच कर फरिहां रेलवे क्रसिंग के पास से व्यक्ति को पकड़ कर पूछताछ किया गया तो अपना नाम अकदश

पुत्र हबीबुर्रहमान ग्राम दाउदपुर थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ बताया तथा जामा तलाशी से अभियुक्त उपरोक्त के पास से एक अदद तमंचा व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ जिसको समय करीब 14.40 बजे गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायलय किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त -

अकदश पुत्र हबीबुर्रहमान ग्राम दाउदपुर थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़

बरामदगी -

एक अदद तमंचा व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नजायज

पंजीकृत अभियोग -

मु0अ0सं0- 181/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना निजामाबाद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली टीम -

1. उ0नि0 रहीमुद्दीन मय HC सुरेश यादव व HC रामकृष्ण यादव थाना निजामाबाद, आमजगढ़

थाना दीदारगंज

52 शीशी अवैध देशी शराब के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार

दि0 03/10/20 को पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा वान्छित, ईनामिया अभियुक्तो अवैध शरब व अवैध शराब के अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये गये अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी फूलपुर के कुशल निर्देशन मे उ 0नि0 सच्चन राम मय हमराह के देखभाल क्षेत्र व तलाश वान्छित करत े हुए राजापुर (हुब्बीगंज) पहुच े कि जरिये मुखबिर खास सूचना मिली की एक व्यक्ति नाजायज शराब एक झोले मे लेकर शाहगंज की ओर से पाइन्दापुर की ओर आ रहा है कि मुखबिर की बातो पर विश्वास कर मंशा से हमराही कर्म 0 गण मय मुखबिर के प्रस्थान कर छिपते छिपाते बैरकडीह पुलिया के पहले पहुच े कि एक व्यक्ति शाहगंज की ओर से झोला लिये आता हुआ दिखाई दिया कि मुखबिर उस व्यक्ति की ओर इशारा करके पीछे मुडकर चला गया कि उ 0नि0 हमराही कर्म0 गण की मदद से उस व्यक्ति को पुलिया के पास ही पकड लिया गया तथा नाम पता पुछा गया तो नाम अरविन्द चौहान पुत्र भारत चौहान निवासी ग्राम राजापुर थाना दीदारगंज , आजमगढ़ बताया जिसकी बाजासा बकायदा जामा तलाशी ली गई तो उसके लिए हुए दाहिने हाथ के प्लास्टिक के झोले मे 52 शीशी रंगीन देशी शराब बरामद हुई जिसके ढक्कन पर अंग्रेजी मे THIS WAY TO BREAK SEAL AND TO OPEN UNSCREW लिखा था। बरामद शराब मे से एक शीशी के ढक्कन को खोलकर सूँघा एवं सुघां या गया तो देशी शराब की गंध आ रही थी उक्त शीशीयो पर लेबल नही लगा था तथा पकडे गये व्यक्ति से शराब रखने का अधिकार पत्र मागा गया तो दिखाने से कासिर रहा अभियुक्त का यह कार्य अतर्गत धारा 60 EX ACT का दण्डनीय अपराध है कारण बताकर समय 18.30 बजे कारण बताकर हिरासत पुलिस मे लिया गया।

पूछताछ विवरण:- अभियुक्त अरविन्द चौहान पुत्र भारत चौहान निवासी ग्राम राजापुर थाना थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ पूछताछ पर अपनी गलती की माफी मागते हुए बताये कि इसी से अपने परिवार का खर्चा चलाता हूँ अब भविष्य मे किसी भी प्रकार की ऐसी गलती नही करूंगा।

गिरफ्तार अभियुक्त:-

अरविन्द चौहान पुत्र भारत चौहान सा0 राजापुर थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़

बरामदगी -

52 शीशी अवैध देशी शराब नाजायज

पंजीकृत अभियोग -

मु0अ0स0 164/20 धारा 60 आबाकारी अधिनियम थाना दीदारगंज, जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

- 1-उ0नि0 सच्चन राम
2. का0 दीपू शर्मा
- 3-का0 मनीष खरवार
4. हो0गा0 एसीसी जितेन्द्र यादव